

प्रेसनोट दिनांक 18.06.2022

1. दिनांक 17.06.22 को वादी श्री अभय सिंह पुत्र घनश्याम नि० सरस्वतीपुरम फेस 02 थाना को०नगर अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि अमर कपूर पुत्र संजय कपूर नि० अज्ञात अयोध्या।आदि 02 नफर व 01 व्यक्ति अन्य नाम पता अज्ञात अभि०गण द्वारा वादी का रास्ता रोककर गाली व जानमाल की धमकी देते हुए मारना पीटना। जिसके संबंध में थाना को०नगर में मु०अ०सं० 475/22 धारा 323, 341, 504, 506 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।
2. दिनांक 17.06.22 को वादी उ०नि० श्री अविनाश प्रताप सिंह थाना को०नगर अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि उजमी सिद्धकी पुत्र मो० हारून नि० रीडगंज थाना को०नगर अयोध्या।गिर० अभि० के कब्जे से 10 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना को०नगर में मु०अ०सं० 476/22 धारा 60(1) आबकारी अधि० का अभियोग पंजीकृत किया गया।
3. दिनांक 17.06.22 को वादी श्री किशुनलाल यादव पुत्र स्व० राधे यादव नि० गद्दोपुर थाना कैण्ट अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि निनकू यादव पुत्र परदेशी यादव नि० गद्दोपुर थाना कैण्ट अयोध्या।आदि 02 नफर अभि०गण द्वारा तेजगति व लापरवाही पूर्वक वाहन चालते हुए वादी को टक्कर मार देना जिससे वादी का घायल हा जाना, पूछने पर गाली व जानमाल की धमकी देते हुए मारना पीटना। जिसके संबंध में थाना कैण्ट में मु०अ०सं० 210/22 धारा 279, 337, 338, 323, 504, 506 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।
4. दिनांक 17.06.22 को वादी उ०नि० श्री विजय कुमार सोनी थाना महाराजगंज अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि विजय कुमार पाण्डेय पुत्र सत्यदेव नि० बाकरगंज थाना महाराजगंज अयोध्या।गिर० अभि० के कब्जे से 10 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना महाराजगंज में मु०अ०सं० 226/22 धारा 60 आबकारी अधि० का अभियोग पंजीकृत किया गया।
5. दिनांक 17.06.22 को वादी उ०नि० श्री मुन्नीलाल चौधरी थाना महाराजगंज अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि दानबहादुर उर्फ डीबी पुत्र रामकरन नि० नगहरा अरवत थाना महाराजगंज अयोध्या।गिर० अभि० के कब्जे से 10 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना महाराजगंज में मु०अ०सं० 227/22 धारा 60 आबकारी अधि० का अभियोग पंजीकृत किया गया।
6. दिनांक 17.06.22 को वादी श्री सुरेश कुमार जायसवाल पुत्र रामलखन नि० सेमरा थाना इनायतनगर अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि सदानन्द पुत्र रामस्वारथ नि० सेमरा थाना इनायतनगर अयोध्या।आदि 04 नफर अभि०गण द्वारा वादी के जमीन पर अवैध रूप से कब्जा करना विरोध करने पर गाली व जानमाल की धमकी देना। जिसके संबंध में थाना इनायतनगर में मु०अ०सं० 275/22 धारा 447, 504, 506 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।
7. दिनांक 17.06.22 को वादी उ०नि० श्री मनोज कुमार थाना मवई अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि।कील पुत्र स्व० मेराज नि० नेकरा थाना मवई अयोध्या। अभि० के कब्जे से एक अदद तमंचा व 02 अदद कारतूस 12 बोर नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना मवई में मु०अ०सं० 158/22 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया।